संख्या- 47/2019 / 732 /71-1-2019-जी-46/2018

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनॉक 22 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/813, दिनॉक 27-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में मानक मद-06-अन्य भत्ते में रू0 23,24,000/- (रू0 तेईस लाख चौबीस हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु रू0 23,24,000/- (रू0 तेईस लाख चौबीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन वेतनादित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3- 470 /दस-2019, दिनॉक 19 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

संख्याः- 47/2019 / 732 (1)/71-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली–भांति देख लिया जाय)					
अनुदान संख्या–83–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–01–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज–					
06–अन्य भत्ते–	299.91	23.24	23.24	23.24	276.67
योग–	**299.91**	**23.24**	**23.24**	**23.24**	**276.67**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड मे) (राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान /विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–03–पैरा मेडिकल कालेज, झाँसी–					
01–वेतन	66.20	73.61	7.41	7.41	73.61
03–महंगाई भत्ता	6.62	18.85	12.23	12.23	18.85
06–अन्य भत्ते	1.20	4.80	3.60	3.60	4.80
योग–	**74.02**	**97.26**	**23.24**	**23.24**	**97.26**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मेडिकल कालेज, कन्नौज में मानक मद–06–अन्य भत्ते रू0 23.24 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

पैरा मेडिकल कालेज, झाँसी में मानक मद–01–वेतन में रू0 7.41 लाख, 03–मंहगाई भत्ता में रू0 12.23 लाख तथा 06–अन्य भत्ते में रू0 3.60 लाख कुल रू0 23.24 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्त प्रस्तावित है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

सख्या–आई०ए०-712/दस-3-470/दस-2019 दिनाक– 19मार्च,2019.
सेवा में,
महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

19/3/2019
(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संख्या– 47/2019 / 732 /71–1–2019–जी–46/2018,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, झाँसी।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव

Anu S.P.M.